न्यायालय सहायक कलक्टर (FT),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 24/25 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2025/91

अनवान्

1. श्रीमती गायत्री पूर्बिया पत्नी स्व० श्री ख्यालीलाल पूर्बिया, पुत्री शंकर जी गाडरी, निवासी 211 कजलीवन कॉलोनी, वार्ड नम्बर 40, तहसील गिर्वा, जिला–उदयपुर (राज०)

.....प्रार्थीया

बनाम

1. सुश्री प्रतिक्षा उर्फ हीना पूर्बिया पुत्री स्व० श्री ख्यालीलाल पूर्बिया, (घनगर गाडरी) निवासी 212 गाडरियों का मोहल्ला उदयपुर, जिला–उदयपुर (राज०)
2. सुश्री प्रांजल पूर्बिया पुत्री स्व० श्री ख्यालीलाल पूर्बिया, (धनगर गाडरी) निवासी 212 गाडरियों का मोहल्ला उदयपुर, जिला–उदयपुर (राज०)
3. श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नी श्री मांगीलाल जाति पूर्बिया (धनगर गाडरी) निवासी 212 गाडरियों का मोहल्ला उदयपुर जिला–उदयपुर (राज०)
4. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार (भूमिधारी) मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
5. उप पंजीयक महोदय सनवाड़, जिला–उदयपुर (राज०)
6. पटवारी, पटवार हल्का ढुंढिया तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०)

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री नरेन्द्र वीरवाल, अधिवक्ता प्रार्थीया।
2. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 13.10.2025

1. प्रार्थीयां ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा ढुंढिया, पटवार हल्का ढुंढिया, तहसील मावली के परिशिष्ट (क) में वर्णित आराजी नम्बर 1932/26, 1933/25 किता 2 कुल रकबा 0.4047 हेक्टेयर, परिशिष्ट (ख) में वर्णित आराजी नम्बर 1934/26, 1935/25 किता 2 कुल रकबा 0.4047 हेक्टेयर, परिशिष्ट (ग) में वर्णित आराजी नम्बर 1871/23 रकबा 0.4209 हेक्टेयर, परिशिष्ट (घ) में वर्णित आराजी नम्बर 2033/26 रकबा 0.6799 हेक्टेयर, परिशिष्ट (ड.) में वर्णित आराजी नम्बर 1928/26, 1929/25, 1930/24 किता 3 कुल रकबा 0.4856 हेक्टेयर, परिशिष्ट (च) में वर्णित आराजी नम्बर 1931/24 रकबा 0.4856 हेक्टेयर, परिशिष्ट (छ) में वर्णित आराजी नम्बर 1927/25

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:52:02 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 0.8094 हेक्टेयर, परिशिष्ट (ज) में वर्णित आराजी नम्बर 2029/23 रकबा 0.4532 हेक्टेयर परिशिष्ट (झ) में वर्णित आराजी नम्बर 1939/24, 1940/26, 1974/24, 2034/26 किता 4 कुल रकबा 1.1170 हेक्टेयर उक्त परिशिष्टों की कृषि भूमियां वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम हिस्से अनुसार संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त परिशिष्टों की कृषि भूमियों वर्तमान राजस्व रेकर्ड में विपक्षी संख्या 1 व 2 प्रत्येक के नाम 1/4—1/4 हिस्से से खातेदारी मे दर्ज है।

2. यह कि मुझ प्रार्थीया का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :—

श्री ख्यालीलाल पिता स्व० डालचन्द पूर्बिया, मूल पुरुष (फौत)

सीतादेवी (पत्नी) (फौत) गायत्रीदेवी (पत्नी)

प्रतिक्षा(पुत्री) प्रांजल(पुत्री)

उपरोक्त सजरे में वर्णित अनुसार मूल पुरुष ख्यालीलाल उर्फ बाबु पिता श्री डालचन्द पूर्बिया जिनका देहावसान दिनांक 12—11—2024 को हो चुका है। स्व० ख्यालीलाल द्वारा अपने जीवनकाल में श्रीमती सीतादेवी से विवाह किया था एवं विवाह उपरान्त दाम्पत्य जीवन के निर्वहन के दौरान श्रीमती सीतादेवी के दो पुत्रीयाँ प्रतिक्षा एवं प्रांजल पैदा हुई, जो इस प्रार्थनापत्र में विपक्षीगण है, चूंकि सीतादेवी का देहावसान दिनांक 16—08—2010 को हो गया जिससे स्व० ख्यालीलाल द्वारा अपने जीवनकाल में मुझ प्रार्थीया से सामाजिक रिति रिवाज एवं प्रचलित प्रथा अनुसार वर्ष 2014 में नाता विवाह कर लिया। नाता विवाह उपरान्त मुझ प्रार्थीया द्वारा ख्यालीलाल के साथ बतौर पत्नी रह कर अपने पत्नी धर्म का पालन किया गया व मुझ प्रार्थीया एवं ख्यालीलाल जी द्वारा बतौर पति—पत्नी साथ—साथ रह कर अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वहन किया जाता रहा। मैं प्रार्थीया स्व० ख्यालीलाल की नातायत पत्नी हो विधिक वारिस उत्तराधिकारिणी हुं।

3. यह कि मुझ प्रार्थीया एवं ख्यालीलाल द्वारा नाता विवाह उपरान्त बतौर पति—पत्नी साथ साथ रह कर अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वहन के दौरान मुझ प्रार्थीया एवं मेरे पति के बीच आपसी मन मुटाव उत्पन्न हो गया जिससे मुझ प्रार्थीया के नातायत पति स्व० ख्यालीलाल द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी अचल सम्पत्ति अर्थात प्रार्थनापत्र में वर्णित कृषि भूमि का एक वसीयतनामा विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में लिख सम्पादित कर उक्त वसीयतनामा का विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में दिनांक 28—11—2018 को पंजीयन करा दिया गया। जाति समाज व गांव के मौतबिरान की समझाईश के फलस्वरूप मुझ प्रार्थीया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:52:02 IST
Reason: SelfAttested

एवं मेरे पति द्वारा आपसी मन मुटाव को खत्म कर दिया गया तत्पश्चात् मुझ प्रार्थीया एवं मेरे पति के बीच किसी प्रकार का कोई मन मुटाव नहीं रहा व मुझ प्रार्थीया द्वारा स्व० ख्यालीलाल के साथ बतौर पत्नी साथ रह कर अपने पत्नी धर्म का पालन करते हुए उनके जीवनकाल में बीमारी के दौरान उनकी सेवा, सुश्रषा, देखभाल की जाती रही जिसके चलते मुझ प्रार्थीया के पति द्वारा अपने जीवनकाल में मुझ प्रार्थीया द्वारा की जा रही सेवा, सुश्रषा, देखभाल से प्रसन्न होकर मुझ प्रार्थीया के पक्ष में एक ईकरार नामा दिनांक 29–12–2018 में लिख सम्पादित किया एवं अपनी अचल सम्पत्ति में आवासीय मकान मुझ प्रार्थीया के उपयोग उपभोग में रखने एवं अपनी अचल सम्पत्ति को मुझ प्रार्थीया की बिना सहमति के खुर्द बुर्द नहीं करने एवं प्रार्थनापत्र में वर्णित अचल सम्पत्ति (कृषि) भूमि की जो वसीयत पूर्व में विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में निष्पादित की गई उक्त कृषि भूमि (अचल सम्पत्ति) बाबत् निष्पादित वसीयत को शून्य करते हुए ईकरार नामा निष्पादित किया गया। मुझ प्रार्थीया के पक्ष में ईकरार नामा में वर्णित ईबारत अनुसार कि विपक्षी संख्या 1, 2, के पक्ष में की गई वसीयत शून्य मानी व समझी जावेगी जिससे भी उक्त रजिस्टर्ड वसीयत मुझ प्रार्थीया के हितों के मुकाबले शून्य एवं निष्प्रभावी है। उक्त आशय का ईकरार नामा मुझ प्रार्थीया के पक्ष में लिख सम्पादित किया।

4. यह कि मुझ प्रार्थीया के पक्ष में निष्पादित ईकरार दिनांक 29–12–2018 में वर्णित ईबारत अनुसार मुझ प्रार्थीया के स्व० पति द्वारा उनके जीवनकाल में विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में करायी गई रजिस्टर्ड वसीयत को शून्य किया गया। मैं प्रार्थीया स्व० ख्यालीलाल की नातायत पत्नी हो मुझ प्रार्थीया द्वारा अपने स्व० पति के जीवनकाल में अस्वस्थ रहने पर उनकी सेवा, चाकरी की गई एवं मृत्यु पर सामाजिक कार्यक्रम भी मुझ प्रार्थीया द्वारा ही सम्पन्न किए गए तथा नातायत पत्नी हो विधिक वारिस उत्तराधिकारिणी हूँ। चूँकि मुझ प्रार्थीया के स्व० पति द्वारा उनके जीवनकाल में मुझ प्रार्थीया के पक्ष में ईकरार नामा निष्पादित कर विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में करायी गई रजिस्टर्ड वसीयत को जरिए ईकरार शून्य किया गया जिससे मैं प्रार्थीया तत्कालीन समय में स्व० ख्यालीलाल के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित हिस्सा कृषि भूमि की निहित हिस्से अनुसार मालिक स्वामिनी हूँ अर्थात प्रार्थनापत्र में वर्णित कृषि भूमि की निहित हक हिस्से अनुसार मालिक स्वामिनी हूँ एवं निहित हक हिस्सा भूमि मुझ प्रार्थीया के कब्जे उपभोग में है। उक्त भूमि केवलमात्र नुमाईशी तौर पर राजस्व रेकर्ड में विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम विरासत से हिस्से अनुसार खातेदारी में दर्ज है, जो गलत रूप से दर्ज है, जिससे मैं प्रार्थीया प्रार्थनापत्र में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में विपक्षी संख्या 1 व 2 के हिस्से दर्ज भूमि में रद्दोबदल करवाने की अधिकारिणी हूँ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:52:02 IST
Reason: SelfAttested

5. यह कि मुझ प्रार्थीया का मजबूत प्राईमाफेसी केस है, तथा सुविधा संतुलन एवं अशोधनीय क्षति के बिन्दु भी मुझ प्रार्थीया के पक्ष में है। मैं प्रार्थीया स्व० ख्यालीलाल की नातायत पत्नी हो विधिक वारिस उत्तराधिकारिणी हूँ। मुझ प्रार्थीया के स्व० पति द्वारा उनके जीवनकाल में मुझ प्रार्थीया से मन मुटाव खत्म करते हुए मुझ प्रार्थीया के पक्ष में ईकरार नामा लिख सम्पादित कर विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत पत्र को उनके जीवनकाल में शून्य कर दिया गया जिससे भी मैं प्रार्थीया अपने स्व० पति की तमाम् अचल सम्पत्ति की स्वतः ही मालिक स्वामिनी हो गई तथा मुझ प्रार्थीया के पति के जीवनकाल में अस्वस्थ रहने पर उनकी सेवा, चाकरी की गई एवं मृत्यु पर सामाजिक कार्यक्रम भी मुझ प्रार्थीया द्वारा ही सम्पन्न किए गए। मैं प्रार्थीया तत्कालीन समय में स्व० ख्यालीलाल के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित हिस्सा कृषि भूमि की निहित हिस्से अनुसार मालिक स्वामिनी हूँ किन्तु प्रार्थनापत्र में वर्णित कृषि भूमि विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में केवलमात्र नुमाईशी तौर पर दर्ज है। प्रार्थनापत्र में वर्णित कृषि भूमि में तत्कालिन समय में स्व० ख्यालीलाल के नाम अंकित हक हिस्सा भूमि राजस्व कर्मचारियों–अधिकारियों द्वारा नामान्तकरण पत्रावली पर प्रार्थीया के स्व० ख्यालीलाल की विधिक वारिस होने के अंकन को नजरअन्दाज करते हुए व प्रार्थीया के बयान नहीं लेकर बिना जाँच नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया गया जिससे उक्त हक हिस्सा भूमि विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम पर नुमाईशी तौर पर दर्ज हो गई एवं नुमाईशी तौर पर दर्ज होने का नाजायज फायदा उठा विपक्षी संख्या 1 व 2 उक्त हिस्सा कृषि भूमि को भू–माफियाओं से सम्पर्क कर अन्य को विक्रय एवं अन्य प्रकार से हस्तान्तरण कर रेकर्ड व मौके की स्थिति को परिवर्तित कर मुझ प्रार्थीया के हक हिस्से से मुझ वादीया को हमेशा के लिए वंचित करने पर उतारू है, जिसका विपक्षी संख्या 1 व 2 को कोई विधिक अधिकार नहीं है, जिस बाबत् हितों की रक्षा के लिए मुझ प्रार्थीया के पक्ष में एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कराया जाना नितान्त आवश्यक है। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ प्रार्थीया को भारी अशोधनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में किया जाना असंभव होगा जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को किसी प्रकार का कोई नुकसान होने वाला नहीं है।

6. यह कि प्रार्थनापत्र कारण दिनांक 10–09–2025 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा प्रार्थनापत्र में वर्णित कृषि भूमि में मुझ प्रार्थीया के स्वामित्व हक स्वत्व अधिकार को हमेशा के लिए खत्म कर वंचित करने एवं उक्त कृषि भूमि को अन्य को विक्रय एवं अन्य प्रकार से हस्तान्तरण कर खुर्द बुर्द कर उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड एवं मौके की स्थिति को परिवर्तित करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। अन्त में निवेदन किया कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:52:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीया के पक्ष में विरूद्ध विपक्षीगण इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी संख्या 1 व 2 प्रार्थनापत्र में वर्णित कृषि भूमि को किसी अन्य को विक्रय, रहन, बैह, बक्षीस या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करे, विपक्षी संख्या 5 विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का पंजीयन नहीं करें, विपक्षी संख्या 6 रेकर्ड में अमल दरामद नहीं करें, उक्त कार्य न स्वय करें, न अपने नौकर, चाकर, एजेन्ट इत्यादी से ही करावें। विपक्षीगण रेकर्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाए रखे।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि परिशिष्ट (क) से लगायत (झ) तक में वर्णित कृषि भूमि ग्राम ढून्ढीयां, पटवार हल्का ढून्ढीया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) में स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में हम विपक्षी संख्या 1, 2 प्रत्येक के नाम 1/4–1/4 हिस्सानुसार खातेदारी हक से दर्ज होना स्वीकार है। हम विपक्षीगण के नाम अंकित हिस्सा भूमि से प्रार्थीयां का कभी कोई सरोकार अथवा कब्जा भुगत भोग नही रहा हैं क्योंकि उक्त वर्णित कृषि भूमियां पूर्व में हमारे पिता की खातेदारी में अंकित थी और हमारे पिता ही उनकी खातेदारी की कृषि भूमियों का उपयोग उपभोग करते थे। हमारे पिता द्वारा उनके जीवनकाल में की गई पंजीकृत वसीयत से उनके नाम अंकित कुलिया कृषि भूमियां हम विपक्षीगण को प्राप्त हुई और विधि अनुरूप वसीयत के मुताबिक हमारे नाम पर खातेदारी हक से दर्ज होकर निर्बाध रूप से हमारे कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में चली आ रही हैं।

8. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित सजरा खानदान के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं हैं क्योंकि ख्यालीलाल जी की विवाहिता पत्नी सीतादेवी थी और ख्यालीलाल जी के नुत्फे से सीतादेवी के हम विपक्षीगण का जन्म हुआ जिससे हम विपक्षीगण स्वर्गीय ख्यालीलाल एवं सीतादेवी की जायन्दा संताने होकर विधिक वारिसान हैं। प्रार्थीयां ने हमारे पिता के साथ कब नाता विवाह किया इसकी जानकारी हम विपक्षीगण को नही हैं। हम विपक्षीगण के माता पिता का निधन हो चुका हैं। हम विपक्षीगण हमारे पिता के साथ ही रहती थी और हमारे पिता की सेवा चाकरी इत्यादि हम विपक्षीगण द्वारा ही की जाती थी। प्रार्थीयां द्वारा कभी भी हमारे पिता की सेवा चाकरी नही की, न ही समर्पित भाव से नातायत पत्नी के रूप में हमारे पिता के साथ रही थी। प्रार्थीयां एक लालची किस्म की महिला है जिसकी शुरू से ही नियत हमारे पिता की स्वअर्जित सम्पत्ति को येनकेन प्रकारेण हथियाने की रही थी और इसी मकसद से वो हमारे पिता के पास कथित नातायत पत्नी के तौर पर आयी थी। हम विपक्षीगण हमारे पिता के साथ रहकर उनकी सेवा चाकरी करती थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:52:02 IST
Reason: SelfAttested

और वे हमारे सेवाभाव से संतुष्ठ थे और हम हमारे पिता की जायन्दा संताने भी थी इस वजह से उन्होने अपने जीवनकाल में ही अपनी वाद वर्णित स्वअर्जित सम्पत्तियों सहित अन्य समस्त चल अचल सम्पत्तियों का एक पंजीकृत वसीयतनामा हम विपक्षीगण संख्या 1, 2 के पक्ष में निष्पादित कर दिनांक 28.11.2018 को उसका विधिवत रूप से उप पंजीयक उदयपुर द्वितीय के कार्यालय में पंजीकरण करवा दिया ताकि भविष्य में उनकी स्वअर्जित चल अचल सम्पत्तियों के बारे में कोई भी विवाद नही हो। हमारे पिता के स्वर्गवास के बाद उनकी खातेदारी की कृषि भूमिया वसीयतनामा के अनुरूप रेवेन्यु एजेन्सी द्वारा विधि पूर्ण कार्यवाही एवं जाँच पड़ताल करके हमारे नाम पर खातेदारी हक से दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की जिसके बाद हमारे पिता की खातेदारी की उक्त भूमियां हमारे नाम पर रद्दोबदल की गई और आज भी हमारे नाम पर खातेदारी हक से दर्ज चली आ रही है और हमारे कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में हैं। हमारे पिता द्वारा कभी कोई इकरार प्रार्थीयां के पक्ष में नहीं लिखा गया था। प्रार्थीयां ने गलत ढंग से उक्त लिखापढ़ी का निर्माण कराया हैं। प्रार्थीयां जिस इकरार के आधार पर हमारे अधिकारों को चुनौती दे रही है वह फर्जी है जबकि हमारे पिता द्वारा हमारे पक्ष में जो वसीयतनामा निष्पादित किया है वह रजिस्टर्ड होकर वैध एवं प्रभावशाली दस्तावेज हैं। कथित इकरार के आधार पर न तो प्रार्थीयां हमारे अधिकारों को चुनौती दे सकती है, न ही कथित इकरार के मुताबिक रजिस्टर्ड वसीयतनामा को शून्य माना व समझा जाना सम्भव हैं। प्रार्थीयां कथित इकरार के जरिए विपक्षीगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय से कोई दाद प्राप्त करने का अधिकार नही रखती हैं।

9. यह कि प्रार्थीयां को यदि नातायत पत्नी मान भी लिया जाता है तो भी वह पंजीकृत वसीयतनामा के मुकाबले में हमारे पिता की स्वअर्जित सम्पत्ति में कोई हक अधिकार नही रखती है, न ही प्राप्त करने का अधिकार रखती हैं। हमारे पिता ने अपनी निजी आय से उक्त वर्णित सम्पत्तियां जो वर्तमान में हमारे नाम पर दर्ज है, को खरीदी थी और हमारे पिता को अपनी स्वअर्जित की सम्पत्तियां अपनी इच्छानुसार वसीयत में देने का पूरा पूरा कानूनी अधिकार प्राप्त था और विधि पूर्ण ढंग से ही हमारे पिता ने अपनी उक्त सम्पत्तियां हम विपक्षीगण को वसीयत में देकर अपनी सम्पत्ति की व्यवस्था की हैं। प्रार्थीयां ने हमारे पिता की न तो सेवा चाकरी की, न ही मृत्यु उपरान्त कोई सामाजिक कार्यक्रम सम्पन्न किए हैं। हम विपक्षीगण के नाम अंकित भूमियां नुमाईशी तौर पर हमारे नाम पर अंकित नही है बल्कि विधिक रूप से पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर रेवेन्यु एजेन्सी द्वारा अंकित की गई है जिस पर हम विपक्षीगण काबिज चली आ रही हैं जिससे प्रार्थीयां का कोई सरोकार या लेना देना नही है। प्रा[illegible]नकेन प्रकारेण हमारे नाम दर्ज स्वच्छ एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:52:02 IST
Reason: SelfAttested

निर्विवादित भूमियों को इस मिथ्या मुकदमे की आड़ लेकर विवादित करना चाह रही है और इसी मकसद से प्रार्थीयां ने उक्त मिथ्या मुकदमा किया हैं। जबकि हमारी खातेदारी हक भूमियों में प्रार्थीयां का कोई हक अधिकार नही रहा है तथा हमारे पिता ने हमारे पक्ष में जो वसीयत की उसमें भी हमारे पिता ने स्पष्ट रूप से अंकित कराया कि मैने गायत्री देवी पुत्री शंकर जी पुर्बिया निवासी राशमी जिला चित्तौडगढ़ नामक महिला से नाता कर लिया है जिसका मैं अपनी आमदनी में से नियमित रूप से भरण पोषण कर रहा हू तथा गायत्री देवी को जो भी देना था वह मैने उसे अलग से प्रदान कर दिया है। गायत्री देवी का अब मेरी चल अचल सम्पत्ति से कोई लेना देना नही रहेगा तथा भविष्य में मेरी सम्पत्ति बाबत् उजर एतराज करने का हक अधिकार गायत्रीदेवी को नहीं रहेगा। इस प्रकार वसीयतनामा में वर्णित कथनों से भी स्पष्ट है कि हमारे पिता ने प्रार्थीयां गायत्रीदेवी का अपनी चल अचल सम्पत्तियों में कोई हक हिस्सा नही रखा, न ही माना फिर भी प्रार्थीयां इस प्रकार की मनगढन्त कहानी गढ़कर हमारी खातेदारी की भूमियों को विवादित करने की कोशिश में हैं। प्रार्थीयां का वाद वर्णित कृषि भूमि में कभी कोई हक अधिकार नही रहा है, न ही वो किसी प्रकार के हक अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकार रखती हैं।

10. यह कि प्रार्थीयां का कोई प्राइमाफैसी केस नही है और न ही सुविधा सन्तुलन प्रार्थीयां के पक्ष में है। हमारे पिता ने हमें जो सम्पत्तियां वसीयत की थी वह हमारे पिता की स्वअर्जित सम्पत्ति है और हमारे पिता को उनकी स्वअर्जित सम्पत्तियों का अपनी इच्छानुसार उपयोग उपभोग करने का पूरा पूरा अधिकार प्राप्त था। हमारे पिता की मृत्यु उपरान्त वसीयत के जरिए उनकी सम्पत्तियां हमें प्राप्त हुई जिस पर हम विपक्षीगण निर्बाध रूप से अधिकार सहित काबिज चली आ रही हैं जिससे प्रार्थीयां का कोई सरोकार नही है, न ही कब्जा भुगत भोग रहा हैं। प्रार्थीयां जो इकरार बता रही है वह फर्जी है जबकि हमारे पिता ने हमारे पक्ष में जो वसीयतनामा निष्पादित किया था वह पंजीकृत हैं और इसके मुकाबले प्रार्थीयां कोई हक अधिकार नही रखती हैं। ऐसी अवस्था में प्रार्थीयां हम विपक्षीगण के विरूद्ध किसी तरह की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारी नहीं है। हम विपक्षीगण उक्त भूमि की खातेदार काश्तकार होकर उपयोग उपभोग कर रही है जबकि इसके विपरीत प्रार्थीयां न तो खातेदार है, न ही कब्जा काश्त है। यदि हम विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावेगी तो प्रार्थीयां इसकी आड़ लेकर हमारे उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी करेगी और कब्जा करने की कोशिश करेगी जिससे हमको जो क्षति होगी उसका मूल्याकंन मुद्रा में आंकना सम्भव नही होगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:52:02 IST
Reason: SelfAttested

इसके विपरित अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से प्रार्थीयां को किसी भी प्रकार का नुकसान या क्षति नही होगी और न ही हो रही है।

11. यह कि मुझ विपक्षीयां के विरूद्ध दिनांक 10.09.2025 को कोई प्रार्थना पत्र कारण उत्पन्न नहीं हुआ है और न ही उत्पन्न होकर जारी है। प्रार्थीयां ने मिथ्या वाद करने की गरज से मनगढन्त प्रार्थना पत्र कारण अंकित किया हैं। प्रार्थीयां को हमारी खातेदारी की भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही हैं। अन्त में प्रार्थीयां की इस्तदुआ है जो गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थीयां हम विपक्षीगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की दाद प्राप्ति की अधिकारी नही है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीयां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

12. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

13. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार है :–

1. ***प्रथम दृष्टया मामला–*** प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि विपक्षीगण के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थीया उक्त भूमि के वर्तमान में खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थीया द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थीया का कथन है कि विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि प्रार्थीया की मौरूसी सम्पति है तथा मौरूसी सम्पति में हमारा भी हक हिस्सा निहित है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि विपक्षीगण के नाम हिस्सेनुसार दर्ज है। प्रार्थीया मूल खातेदार ख्यालीलाल की नातायत पत्नी है। विपक्षी संख्या 1, 2 मूल खातेदार ख्यालीलाल की पुत्रीयां हैं। विपक्षी संख्या 1, 2 का नाम वादग्रस्त आराजीयात में रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 28.11.2018 के आधार पर उपतहसीलदार सनवाड द्वारा पूर्ण सुनवाई करते हुए दर्ज किया गया हैं। प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त भूमि मौरूसी सम्पति [illegible] मान में विपक्षी संख्या 1, 2 के पिता का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:52:02 IST
Reason: SelfAttested

निधन हो चुका है। उसके पश्चात उपतहसीलदार सनवाड द्वारा प्रकरण संख्या 05/25 दर्ज कर निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय की पालना में विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम वादग्रस्त भूमि दर्ज हुई। उक्त निर्णय रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर पारित किया गया। यदि प्रार्थीया को उपतहसीलदार सनवाड के निर्णय पर कोई आपत्ति है तो उसे सक्षम न्यायालय में अपील करनी चाहिए थी। रजिस्टर्ड वसीयत के आधार मृतक खातेदार ख्यालीलाल के वारिस के रूप में विपक्षी संख्या 1, 2 का नाम दर्ज किया गया। यदि प्रार्थीया को रजिस्टर्ड वसीयतनामा पर कोई आपत्ति थी तो उसको निरस्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिए था। वर्तमान में विपक्षी संख्या 1, 2 रेकार्डेड खातेदार हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर विपक्षी संख्या 1, 2 रेकार्डेड खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के विरूद्व साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीयां के विरूद्व में निर्णित किया जाता है।

2. ***सुविधा का संतुलन–*** प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षीगण के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थीया वर्तमान में वादग्रस्त भूमि की खातेदार काश्तकार नहीं हैं। विपक्षी संख्या 1, 2 वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार होने से यदि खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे खातेदारों को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा। चूंकि खातेदार को अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार हैं। इसलिए सुविधा का संतुलन का बिन्दु विपक्षी संख्या 1, 2 के पक्ष में साबित होता हैं। अतः सुविधा संतुलन का बिन्दू प्रार्थीया के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

3. ***अपूरणीय क्षति का बिन्दू–*** प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षीगण के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। विपक्षी संख्या 1, 2 खातेदार काश्तकार होने से यदि विपक्षी संख्या 1, 2 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे विपक्षी संख्या 1, 2 को अपूरणीय क्षति होगी तथा विपक्षी संख्या 1, 2 को अपनी भूमि के विकास, ऋण आदि में काफी कठिनाईयों का सामना करना पडेगा। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन के बिन्दु प्रार्थीया के विरूद्व में निर्णित किये जाने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थीया के विरूद्व में निर्णित किया जाता हैं।

14. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीया द्वारा विपक्षी संख्या 1, 2 के विरूद्व घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि मौजा ढुंढिया, पटवार हल्का ढुंढिया, तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 468 पर दर्ज आराजी नम्बर 1932/26, 1933/25 किता 2 कुल रकबा 0.4047 हेक्टेयर, खाता संख्या 469 पर दर्ज आराजी नम्बर 1934/26, 1935/25 किता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:52:02 IST
Reason: SelfAttested

2 कुल रकबा 0.4047 हेक्टेयर, खाता संख्या 470 पर दर्ज आराजी नम्बर 1871/23 रकबा 0.4209 हेक्टेयर, खाता संख्या 471 पर दर्ज आराजी नम्बर 2033/26 रकबा 0.6799 हेक्टेयर, खाता संख्या 472 पर दर्ज आराजी नम्बर 1928/26, 1929/25, 1930/24 किता 3 कुल रकबा 0.4856 हेक्टेयर, खाता संख्या 473 पर दर्ज आराजी नम्बर 1931/24 रकबा 0.4856 हेक्टेयर, खाता संख्या 474 पर दर्ज आराजी नम्बर 1927/25 रकबा 0.8094 हेक्टेयर, खाता संख्या 475 पर दर्ज आराजी नम्बर 2029/23 रकबा 0.4532 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 476 पर दर्ज आराजी नम्बर 1939/24, 1940/26, 1974/24, 2034/26 किता 4 कुल रकबा 1.1170 हेक्टेयर भूमि विपक्षीगण के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि विपक्षीगण के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। प्रार्थीया द्वारा विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में अपने हिस्से की घोषणा चाही गई हैं। वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रार्थीया के पति/विपक्षी संख्या 1, 2 के पिता ख्यालीलाल के नाम हिस्सेनुसार दर्ज थी जो रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 28.11.2018 के आधार पर उपतहसीलदार सनवाड द्वारा पूर्ण कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम दर्ज की गई। वर्तमान में ख्यालीलाल का स्वर्गवास हो चुका हैं। प्रार्थीया मृतक खातेदार ख्यालीलाल की नातायत पत्नी होना बताया हैं। विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादग्रस्त भूमि ख्यालीलाल के नाम क्रय करने से प्राप्त हुई हैं। प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा विपक्षी संख्या 1, 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थीया द्वारा मूल वाद 500/– रूपये स्टाम्प पर लिखापढी दिनांक 29.12.2018 के आधार पर घोषणा हेतु पेश किया हैं।

वादग्रस्त भूमि के विपक्षी संख्या 1, 2 खातेदार काश्तकार होने से यदि विपक्षी संख्या 1, 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे विपक्षी संख्या 1, 2 को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा तथा विपक्षी संख्या 1, 2 को अपनी भूमि का विकास करने, ऋण आदि लेने में काफी कठिनाई का सामना करना पडेगा। चूंकि खातेदार को अपनी भूमि के उपयोग उपभोग का पूरा अधिकार हैं। इस प्रकार खातेदार के विरूद्ध बिना किसी ठोस आधार के अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नही है।

शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीया के विरूद्ध निर्णित किये गये है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:52:02 IST
Reason: SelfAttested

का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाती हैं।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:52:02 IST
Reason: SelfAttested